

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय-राजस्थान जयपुर


क्रमांक:प.2/सब/जी-131/आ.कृ./गुप-9/394

दिनांक 18.5.16

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक 216 दिनांक 07-08-2013 से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर चयनित श्री कैलाश कुमार गमेती कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बडगाँव को कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ 2 (सब)जी-127/नि.कृ./गुप-9/3953-4000 दिनांक 03-12-2013 द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 21 की अनुसूची IV के अन्तर्गत रनिंग पे 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 में फिक्स वेतन रूपये 11100/- सहायक कृषि अधिकारी के पद पर अनुसूची IV के फुट नोट 6 की शर्त के अनुसार नियुक्ति किया गया था। उक्त पद पर इन्होंने दिनांक 12-12-2013 को उपस्थिति प्रस्तुत की थी।

श्री कैलाश कुमार गमेती सहायक कृषि अधिकारी को 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि दिनांक 11-12-2013 को समाप्त होने व संतोषजनक प्रमाण-पत्र के आधार पर वित्त विभाग के नोटीफिकेशन संख्या एफ.14(1)एफडी(नियम)2013-11 दिनांक 28-06-2013 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 21 अनुसूची IV के अन्तर्गत रनिंग पे 9300-34800 ग्रेड-पे-3600/- के स्थान पर 4200 किये जाने के फलस्वरूप अनुसूची V के नियम 22 के अन्तर्गत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि 11-12-2015 के फलस्वरूप दिनांक 12-12-2015 से रनिंग पे (पीवी-2) 9300-34800 ग्रेड-पे-4200 में, पे 10230 + ग्रेड पे 4200 = 14430 वेतन निर्धारण किया जाता है। आगामी वेतनवृद्धि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2008 के उप नियम 14 के अनुसार 01-07-2016 होगी।



(डा.नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-131/आ0कृ0/गुप-9/394-98

दिनांक:- 18.5.16

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- संयुक्त निदेशक कृषि (वि) उदयपुर।
- 2- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद, उदयपुर।
- 3- सहायक निदेशक कृषि (वि) बडगाँव।
- 4- श्री कैलाश कुमार गमेती, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) बडगाँव।
- 5- निजी पंजिका।


(सोमन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)